प्रेस नोट संख्या- 48

दिनांक- 24.09.2025

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

"नशा मुक्त अमेठी अभियान" के अन्तर्गत थाना इन्हौना पुलिस द्वारा करीब 02 कुन्तल पोस्ता छिलका/डोडा (अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये) व मादक पदार्थ के परिवहन में प्रयुक्त अर्टिगा कार के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व "नशा मुक्त अमेठी अभियान" के तहत दिनांक 23.09.2025 को क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री दिनेश कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना इन्हौना पुलिस को देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक अर्टिगा कार सुलतानपुर से लखनऊ की तरफ जा रही है जिसमें पोस्ता छिलका/डोडा रखा हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग लगाकर सुलतानपुर की तरफ से आ रही अर्टिगा कार को हिकमत अमली से घेर कर रोक लिया गया तथा चालक से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम आदित्य सचदेव पुत्र अमृत लाल सचदेव निवासी मोहल्ला 32 सिविल लाइन इण्डियन बैंक के सामने थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं उम्र करीब 43 वर्ष बताया। अर्टिगा कार की तलाशी से 12 बोरियों में करीब 02 कुन्तल पोस्ता छिलका/डोडा बरामद हुआ। अर्टिगा कार के कागज मांगने पर दिखा न सका। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को नियमानुसार मौके से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि बरामद पोस्ता छिलका/डोडा वह डालटनगंज, झारखण्ड से लेकर बदायूं जा रह था उक्त पोस्ता छिलका/डोडा लाने के लिये उसे अभय कुमार सिंह ने झारखण्ड भेजा था।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना इन्हौना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- आदित्य सचदेव पुत्र अमृत लाल सचदेव निवासी मोहल्ला 32 सिविल लाइन इण्डियन बैंक के सामने थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं उम्र करीब 43 वर्ष।

बरामदगी-

- करीब 02 कुन्तल पोस्ता छिलका/डोडा (अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये)।
- मादक पदार्थ के परिवहन में प्रयुक्त अर्टिगा कार रजि0नं0 HR 55 AG 0647

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 65/25 धारा 8/15(3)/29/60 एनडीपीएस एक्ट थानाइन्हौनाजनपदअमेठी।
- अर्टिगा कार रजि0नं0 HR 55 AG 0647 (धारा 207 एमवी एक्ट)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 प्रदीप सिंह थानाध्यक्ष इन्हौना जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 राजेश चन्द्र पाल थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
3. का0 अखिलेश कुमार पाल थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
4. का0 अभिषेक यादव थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
5. का0 अंकित यादव थाना इन्हौना जनपद अमेठी।